न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 180/2023

1. रूपाराम पुत्र मुकनाराम उर्फ मुकिया भील
2. अणचीदेवी पत्नी कानाराम भील
3. बालकराम पुत्र कानाराम भील

सभी निवासीगण भील बस्ती
ग्राम बोरानाडा, जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

1. मंगलाराम पुत्र रावताराम भील
2. शिवाराम पुत्र रावताराम भील जरिये कायममुकामान–
   - 2.1. नारायणराम पुत्र शिवाराम जरिये कायममुकामान–
     - 2.1.1. बबलु पुत्र नारायणराम भील
     - 2.1.2. कुकी पुत्री नारायणराम भील
   - 2.2. बगताराम पुत्र शिवाराम भील
   - 2.3. मोतीराम पुत्र शिवाराम भील
   - 2.4. नेमाराम पुत्र शिवाराम भील
   - 2.5. तुलसाराम पुत्र शिवाराम भील
   - 2.6. लूणी पत्नी भोमाराम भील पुत्री शिवाराम भील
   - 2.7. कमला पत्नी सोनाराम पुत्री शिवाराम भील
   - 2.8. बाला पुत्री शिवाराम भील
   - 2.9. बसंती पत्नी धन्नाराम पुत्री शिवाराम भील
3. भोलीदेवी पत्नी जबराराम भील
4. हमदादेवी पत्नी रामलाल भील

   सभी निवासीगण भील बस्ती, ग्राम बोरानाडा
   जोधपुर
5. तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर
6. जोधपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) जोधपुर
7. पटवारी, पटवार हळका बोरानाडा, जिला जोधपुर
8. ग्राम पंचायत बोरानाडा, तहसील व जिला जोधपुर

रेस्पो.....

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी दिनांक 28 जून 2021 म्युटेशन अपील संख्या 59/2010 रूपाराम व अन्य बनाम मंगलाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
रेस्पो. संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

श्री कमलेश राठौड़ अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 6

नि र्ण य

दिनांक 28 अगस्त, 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर द्वारा म्युटेशन अपील संख्या 59/2010 अनवान रूपाराम व अन्य बनाम मंगलाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 28 जून 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 27 अप्रेल 2023 को प्रस्तुत की है। साथ ही विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम प्रस्तुत किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स रूपाराम आदि की ओर से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत एक अपील पेश कर म्युटेशन आदेश दिनांक 28 मई 2008 म्युटेशन संख्या 858 अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28 जून 2021 खारिज कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन करते हुए कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत अपील में नियुक्त अधिवक्ता द्वारा कुछ समय तक पैरवी करने के बाद आगे पैरवी नहीं की गयी, जिसकी सूचना अपीलाण्ट्स को उनके अधिवक्ता द्वारा अथवा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अदालती नोटिस के जरिये नहीं दिये जाने से अपीलाधीन निर्णय बाबत अपीलाण्ट्स को समुचित समय मे कोई जानकारी नहीं हो पायी। दिनांक 21 नवम्बर 2022 को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय बाबत अपीलाण्ट्स को जानकारी हुई, तब आवश्यक कार्यवाही कर जानकारी की दिनांक से आलौच्य अपील अन्दर मियाद पेश कर दी गयी है। अतः प्रस्तुत अपील अन्दर मियादशुमार की जावे।

गुणावगुण पर अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपील मीमो व प्रस्तुत लिखित बहस में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बोरानाडा तहसील लूणी स्थित आराजी खसरा संख्या 322 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा भूमि अपीलाण्ट्स के पूर्व मुकनाराम उर्फ मुकिया की खातेदारी भूमि होकर अपीलाण्ट्स की पुश्तैनी भूमि है। उक्त भूमि का मुकनाराम उर्फ मुकिया अथवा अपीलाण्ट्स द्वारा कभी किसी अन्य के पक्ष में कोई बेचान/हस्तान्तरण नहीं किया गया, मगर रेस्पो. द्वारा कपटपूर्वक संबंधित राजस्व कर्मचारियों एवं उप–सरपंच से दुराभिसंधि कर कानाराम व रूपाराम के हिस्से की भूमि का मंगलाराम व शिवाराम के नाम बेचान दर्शाते हुए जरिये म्युटेशन संख्या 48 (जिसकी जानकारी अपीलाण्ट्स को पटवार मण्डल से दिनांक 01 मई 2010 को हुई) अपने नाम अपीलाण्ट्स की जानकारी के बिना ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली। इसके बाद उक्त भूमि का विभाजन दर्शाकर रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने रेस्पो. संख्या 3 व 4 के हक में बेचान दर्शाकर म्युटेशन संख्या 858 के जरिये राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करवा लिया। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि पूर्व में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

रेस्पो. संख्या एक व दो स्वीकृत म्युटेशन संख्या 48 बिना किसी आधार के स्वीकृत किया गया, जो प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी होने के कारण उसके आधार पर रेस्पो. संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त आराजी बाबत कोई अधिकार अर्जित नहीं होते है। ऐसी स्थिति में रेस्पो. संख्या 1 व 2 द्वारा बिना किसी अधिकार के रेस्पो. संख्या 3 व 4 के पक्ष में किये गये तथाकथित विक्रय व उसके आधार पर म्युटेशन संबंधित आदेश दिनांक 28 मई 2005 व स्वीकृत म्युटेशन संख्या 858 भी शून्य प्रभावी होने से रेस्पो. संख्या 3 व 4 को कोई अधिकार अर्जित नहीं होते है। जो तथाकथित बेचाननामा रेस्पो. के पक्ष में होना दर्शाया गया है, वे कूटरचित है एवं अपंजीबद्ध व अमुद्रांकित होने से साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है, जैसा कि 2018(1) आरआरआई 780 में धारित किया गया है। इस संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने न्यायालय का ध्यान 2020(12) आरआरडी 899, 2020 डीएनजे (रेव.) 523 की ओर भी आकर्षित किया। अपनी बहस में अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने 2022 डीएनजे (रेव.) 1515 व 2019(2) उद्धरित करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पो. का कब्जा मान लिया जावे तो भी मात्र कब्जे के आधार पर रेस्पो. को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है क्योंकि साधिकार कब्जे के अभाव में प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त भी लागू नहीं होता है। अंत में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 6 एवं राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में म्युटेशन आदेश दिनांक 28 मई 2008 एवं उसके अनुसरण में स्वीकृत म्युटेशन संख्या 858 को अपास्त कराये जाने हेतु अपीलाण्ट्स की ओर से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28 जून 2021 को खारिज की गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत आलौच्य द्वितीय अपील अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जाहिर है कि आलौच्य अपील प्रकरण में म्युटेशन आदेश दिनांक 28 मई 2008 एवं स्वीकृत म्युटेशन संख्या 858 के परिप्रेक्ष्य में ही तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधिक प्रावधानों बाबत विवेचन एवं विश्लेषण किया जाना न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अनुकूल है। रेस्पो. संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्वीकृत म्युटेशन संख्या 88 व उसके अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में किये गये अमल–दरामद व अन्य कार्यवाहियों के संबंध में वर्तमान अपील में किसी प्रकार का कोई विवेचन किया जाना प्रासंगिक नहीं है।

म्युटेशन संख्या 858 की प्रमाणित प्रतिलिपि (प्रथम अपीलीय न्यायालय की पत्रवली में पेज 14 पर उपलब्ध) का अवलोकन करने पर विदित होता है कि उक्त म्युटेशन में पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज का विवरण क्रमशः दिनांक 21 मई 2008 को पुस्तक संख्या एक जिल्द संख्या 316 पृ सं. 32 क्रम संख्या 2008004303 व दिनांक 21 मई 2008 को पुस्तक संख्या एक जिल्द संख्या 316 पृ सं. 23 क्रम संख्या 2008004304 अंकित किया गया है। उक्त उल्लेखित पंजीबद्ध बेचान दस्तावेजात को विधिवत सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दी जाकर अपास्त कराया जाना उपलब्ध अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि म्युटेशन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

संबंधित अपील में पक्षकारान के खातेदारी अधिकारों अथवा पंजीबद्ध विक्रय विलेख बाबत किसी प्रकार का विनिश्चयन राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। जो नजीरें खातेदारी अधिकारों एवं दस्तावेजात की साक्ष्य में ग्राह्यता के संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स द्वारा उल्लेखित की गयी है, आलौच्य प्रकरण से सुसंगत एवं सुसंबद्ध नहीं होने के कारण इन नजीरों के प्ररिप्रेक्ष्य में कोई विवेचन किया जाना प्रासंगिक एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में जो प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम प्रस्तुत किया गया है, उसमें विलम्ब के संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण अंकित नहीं किये गये है और न ही अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने बाबत समुचित तथ्य (यथा किसके माध्यम से कब जानकारी हुई) भी अंकित नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत मियाद–प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है, जो तदनुसार खारिज किया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की विनम्र राय में म्युटेशन वं आदेश दिनांक 28 मई 2008 एवं स्वीकृत म्युटेशन संख्या 858 को विधिसम्मतः मानते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28 जून 2021 पारित में किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं प्रकट नहीं होती है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स मियाद–बाधित एवं सारहीन होने से तदुनसार खारिज की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28 जून 2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28 अगस्त, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.08.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर